

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15052023-245873 CG-DL-W-15052023-245873

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, मई 7—मई 13, 2023, शनिवार/ वैशाख 17—वैशाख 23, 1945

No. 18] NEW DELHI, MAY 7—MAY 13, 2023, SATURDAY/VAISAKHA 17—VAISAKHA 23, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली. 4 मई. 2023

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक उसका संबंध सामाजिक कार्यकर्त्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समृह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

2852 GI/2023 (289)

induction	incumbent being	confirmation)	
training of at	away on deputation	consisting of :-	
least two	or long illness or	1. Joint Secretary,	
weeks duration	study leave or under	Ministry of Health	
for successful	other circumstances	and Family	
completion of	for a duration of one	Welfare – Chairman;	
probation as	year or more may be	2. Deputy Director	
prescribed by	filled on	General or	
the Central	deputation basis from	Director	
Government.	officers of the	(Administration	
	Central	and Vigilance),	
	Government,-	Directorate	
		General of	
	(a) (i) holding	Health Services -	
	analogous posts on	Member;	
	regular basis in the	3. Director National	
	parent cadre or	Center for Vector	
	department; or	Borne Disease	
		Control – Member,	
	(ii) with four years		
	service in the grade		
	rendered after		
	appointment thereto		
	on a regular basis in		
	post in level-8 in the		
	pay matrix (Rs.		
	47600-151100) or		
	equivalent; and		
	(b) possessing the		
	qualifications and		
	experience prescribed		
	for direct		
	recruits under		
	column(7).		

[F. No. 1-45/2019-Admn.I] MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

सा.का.िन. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रिक्षिण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक इसका संबंध भौतिक चिकित्साविद् के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में भौतिक चिकित्साविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट्, भौतिक चिकित्साविद् (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भौतिक	1 एक*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	चयन
चिकित्साविद्	(2023)	समूह 'ख' अराजपत्रित,	स्तर-6 (35400-	
	*कार्यभार के आधार पर	अननुसचिवीय	112400 रुपये)	
	परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की
वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	अवधि, यदि
आयु सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में किन
या प्रोन्नति द्वारा या	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां	समिति है, तो उसकी	परिस्थितियों में संघ
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा	जिनसे प्रोन्नति या	संरचना	लोक सेवा आयोग से
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने	प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		परामर्श किया जाएगा
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	जाएगा		
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति:	समूह 'ख' विभागीय	संघ लोक सेवा आयोग
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-	प्रोन्नति	से परामर्श आवश्यक

4(25500-81100 रुपये) में ऐसे सहायक भौतिक चिकित्साविद् या भौतिक चिकित्सा तकनीकी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और या तो राज्य सामान्य भौतिक चिकित्सा में या पुनर्वास संस्थानों में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्तिः

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/-रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/-रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित नहीं है।

जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट् – अध्यक्ष: 2. उप निदेशक(ऑर्थोपेडिक), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -सदस्य। 3. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्ट् – सदस्य: 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -सदस्य। समृह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति(पृष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक(कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य: 3. निदेशक(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय-सदस्य: 4. उप निदेशक,

समिति(प्रोन्नति पर

विचार करने के लिए)

आधार पर नियुक्ति के पश्चात केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण दस वर्ष सेवा की हो; और और अनुसंधान (ख) जिनके पास निम्नलिखित संस्थान, चेंगलपट्टु -अर्हताएं और अनुभव हों: सदस्य। (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक चिकित्सा में बैचलर डिग्री। (ii) न्यूनतम 100 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में भौतिक चिकित्सा में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक चिकित्सा में मास्टर्स डिग्री। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं. प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से

अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. ए.12018/32/2019-कुष्ठ] मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 9th May, 2023

- G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Physiotherapist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Physiotherapist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physiotherapist.	01 (One) * 2023 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two year.

(10) Promotion failing which by deputation. Promotion: Assistant Physiotherapist or Physiotherapy Technician in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years of regular service in the grade and having undergone a two to four weeks training in General Physiotherapy in either the State or Rehabilitation institutes. Note: Where juniors who have completed their qualifying or expression in the promotion of the promotion Committee (for considering promotion) with Union Public Service Commission is not necessary. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu- Chairman; 2. Deputy Director (Orthopaedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute Research Insti	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience - (i) Bachelors degree in Physiotherapy from a recognised University or institution. (ii) two years practical experience in Physiotherapy from a	Promotion failing which	Promotion: Assistant Physiotherapist or Physiotherapy Technician in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100) with ten years of regular service in the grade and having undergone a two to four weeks training in General Physiotherapy in either the State or Rehabilitation institutes. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29200- 92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience - (i) Bachelors degree in Physiotherapy from a recognised University or institution. (ii) two years practical experience	Group B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of- 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu- Chairman; 2. Deputy Director (Orthopaedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu-Member 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu- Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu- Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) Consisting of: 1. Additional Director General, Directorate General of Health Services - Chairman; 2. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Member; 4. Deputy Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute,	Consultation with Union Public Service Commission is

	Government Hospital or Private	
	hospital with at least 100 beds.	
	Desirable Qualification:	
	Masters degree in Physiotherapy	
	from a recognised University or	
	institution.	
	Note 1: The Departmental officers	
	in the feeder category who are in	
	the direct line of promotion will not	
	be eligible for consideration for	
	appointment on	
	deputation/absorption. Similarly,	
	Deputationists shall not be eligible	
	for consideration for appointment	
	by promotion.	
	Note 2: The period of Deputation	
	including period of Deputation in	
	another ex-cadre post held	
	immediately preceding this	
	appointment in the same or some	
	other organisation/ department of	
	the Central Government shall	
	ordinarily not to exceed three years.	
	Note 3: The maximum age-limit	
	for appointment by Deputation	
	shall not be exceeding fifty-six	
	years as on the closing date of	
	receipt of applications.	
<u>.</u>	<u> </u>	

[F. No. A.12018/32/2019-Lep] MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.